# कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस लखनऊ।

पत्रसंख्या–2017 / 34079 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2655 / डीडी दिनांक:अगस्त 31 ,2017

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
(हा0 / इंटी0 सेल),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड,गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषयः– खसरा नं0–भूखण्ड–04 ग्राम–बाघामऊ, गोमतीनगर विस्तार, जिला–लखनऊ मे मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित संशोधित समूह आवास भवन (112 फ्लैट) की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

---

कृपया उपरोक्त विषयक अपने संशोधित पत्र संख्या–526 / EE/HTIG/2017 दिनांक–21.06.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का आपके कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व के अनापत्ति प्रमाण सं0–2016 / 25993 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2201 / डीडी दिनांकः–17.12.16 के सापेक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का एनबीसी–2016 व भवन निर्माण व भवन विकास उपविधि–2008 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर से निरीक्षण / परीक्षण कराया गया जिसकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश मे आये–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया– 9139.60 वर्गमीटर।

टावर–1 व टावर–2

- भूतल का कवर्ड एरिया– 443.83 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया– 400.73 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 12 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 401.92 वर्गमीटर।
- तेरहवे तल का कवर्ड एरिया– 243.88 वर्गमीटर।

टावर–3 व टावर–4

- भूतल का कवर्ड एरिया– 460.77 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया– 419.56 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 12 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 421.05 वर्गमीटर।
- तेरहवे तल का कवर्ड एरिया– 263.21 वर्गमीटर।

2–बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया– 6562.77 वर्गमीटर।

3–भवन के प्रत्येक टावर की ऊँचाई–44.950 मीटर है।

**भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी**–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की समूह आवास श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

**ढाँचागत व्यवस्था –**

**1–पहुँच मार्ग**–भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

**2–प्रवेश द्वार की चौड़ाई**–भवन के मानचित्र मे दो प्रवेश व दो निकास द्वार की चौड़ाई–06.00 मीटर है जो मानक के अनुसार है।

**3–सेटबैक**– भवन का सैटबैक निम्नवत हैं–

- अग्रभाग– 15.00 मीटर।
- पृष्ठभाग– 15.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम– 15.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय– 15.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक 06.00 मीटर चौड़ा रोड मोटरेबुल सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा। बेसमेन्ट का कुछ भाग विल्डिग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

**4–निकास मार्ग**–प्रस्तावित प्रत्येक टावर मे दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई–01.50 मीटर व 01.35 मीटर निर्मित कराया जाना आवश्यक होगा। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

**5–रिफ्यूज एरिया का विवरण**–प्रत्येक टावर मे बालकनी प्रस्तावित है।

**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था**–भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–**भूमिगत टैंक**–भूमिगत टैंक–300000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

2–**पम्प**–भूमिगत टैक के पास एक हाइड्रेन्ट पम्प 2280 एलपीएम एक स्प्रिंकलर पम्प 2280 एलपीएम एक डीजल चालित पम्प 2280 एलपीएम एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

3–**होजरील**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4–**वेटराइजर**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मानचित्र मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2016 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5–**यार्ड हाइडेन्टस्**–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईडेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

6–**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**–मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।

7–**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**–आवश्यक नही है।

8–**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**–बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9–**टेरिस टैंक**–भवन के प्रत्येक टावर के टैरिस पर टेरिस टैंक–5000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10–**टेरिस पम्प**–आवश्यक नही है।

11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूसर)**–भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 –2190 के अनुसार प्राविधानित है।

12–**स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम**–वेसमेन्ट मे बेन्टीलेशन हेतु स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13–**एग्जिट साइनेज**–प्रत्येक टावर मे एग्जिट साइनेज प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

14–**पी0ए0 सिस्टम**–प्रत्येक टावर मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

16–**प्रशिक्षित स्टाफ**–भवन निमार्ण के उपरान्त भवन मे अधिष्ठाापित अग्नि सुरक्षा प्रणाली के कुशल संचालन के लिए एक अनुभवी फायर आफिसर के नेतृत्व मे नियमित प्रशिक्षत स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार भूखण्ड नं0–04 ग्राम–बाघामऊ, गोमतीनगर विस्तार,जिला–लखनऊ मे मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित संशोधित समूह आवास (112फ्लैट) भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल विल्डिंग कोड आफ इंडिया–2016 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

**संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र**

31/08/2017

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी/
उप निदेशक,फायर सर्विस
लखनऊ।

**प्रतिलिपि**–अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।